छेड़छाड़ के दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

अदालत से

जासं, श्रावस्ती : मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पूर्व सात वर्षीय किशोरी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया गया हैं। इसे अदा न करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 10 नवंबर 2018 को दिन में करीब एक बजे अपने घर के दरवाजे के पास खेल रही थी। किशोरी के माता-पिता खेत में पानी लगाने गए थे। इसी दौरान गांव का ही समीउल्ला आ गया और दरवाजे पर खेल रही किशोरी को डली खिलाने के बहाने हाते में लेकर चला गया। यहां चारपाई पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी ने इसका विरोध किया और भागकर छिप गई। आरोपित भी मौके से फरार हो गया। किशोरी ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी।

किशोरी के पिता की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। सत्र परिक्षण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पास्को एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपित समीउल्ला को दोषसिद्ध ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।